LATEST NEWS

Election

Date : 31st Jan. 2026

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

पर्यवेक्षक ने की एसआइआर गतिविधियों की समीक्षा

'बिना दावा-आपत्ति व सुनवाई के सूची से नहीं हटाए जाएं किसी के नाम'

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

करौली. बैठक में संबोधित करते पर्यवेक्षक व उपस्थित अधिकारी।

करौली. प्रशिक्षण में उपस्थित प्रगणक।

करौली. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में चलाई जा रही एसआईआर गतिविधियों की समीक्षा को लेकर शुक्रवार को रोल पर्यवेक्षक एवं श्रम विभाग सचिव पी रमेश करौली आए। इस दौरान उन्होंने कलक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली।

उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 से संबंधित गतिविधियों, कार्मिको की नियुक्ति, दूरदराज के इलाको में नेटवर्क की उपलब्धता, नोटिसो का ब्यौरा, एसआईआर संक्षिप्त रिपोर्ट, दावा-आपत्ति निस्तारण की वस्तुस्थिति, फार्म 7 एवं फार्म 6 के निस्तारण की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन सूची एवं हटाए जाने वाले नामों की शुचिता सुनिश्चित करें। किसी का भी नाम बिना दावा-आपत्ति एवं समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना नही हटाया जाए। वहीं कोई भी गलत नाम न जुड़ सके यह भी सुनिश्चित करें। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी फील्ड विजिट कर मतदाताओं की सहुलियत का ध्यान भी रखे। साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को दुरूस्त रखें।

निर्वाचन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें की प्रति पोलिंग स्टेशन पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं हो। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना ने कहा कि आयोग के निर्देशों की शत प्रतिशत पालना की जा रही है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज परिडवाल, समस्त ईआरओ एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रगणकों को दिया प्रशिक्षण

करौली. राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के निर्देशानुसार पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के लिए चलाए जा रहे निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत करौली एवं मासलपुर पंचायत समितियों के नियुक्त प्रगणकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शुक्रवार को यहां पंचायत समिति सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखंड अधिकारी प्रेमराज मीना के निर्देशन में हुआ। निर्वाचन कार्यालय के राजेन्द्र दीवान ने बताया कि 1 जनवरी 2025 की आधार तिथि से 7 जनवरी 2025 को निर्वाचन विभाग द्वारा प्रकाशित विधानसभा/लोकसभा मतदाता सूचियों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के लिए प्रगणकों द्वारा तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 29 जनवरी को किया गया है। इन नामावलियों का प्रगणकों द्वारा 31 जनवरी को ग्राम पंचायत के वार्डों एवं मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के समक्ष पठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन के लिए दिनांक 1 व 2 फरवरी को विशेष अभियान चलाया जाएगा, निर्वाचक नामावली से संबंधित दावे एवं आक्षेप 7 फरवरी तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जिनका निस्तारण 14 फरवरी तक होगा। 25 फरवरी को पंचायत चुनाव की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रगणकों को नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए प्रारूप-1, मतदाता की मृत्यु अथवा स्थानांतरण की स्थिति में नाम विलोपन के लिए प्रारूप-2 तथा किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए प्रारूप-3 भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई।

बीएलओ बैठक में एसआईआर अभियान के नोटिस को लेकर हुई चर्चा

जैतसर| एसआईआर अभियान के बाद अनेक मतदाताओं को दिए गए नोटिस को लेकर तहसीलदार व बीएलओ की बैठक हुई। अभियान की प्रगति व नोटिस जारी करने वाले मतदाताओं से नोटिस के जबाब पर बीएलओ से चर्चा की गई। तहसीलदार राजवीर ने उपतहसील कार्यालय में बीएलओ व सुपरवाइजरों की बैठक में नोटिस वितरण कार्यक्रम की प्रगति को लेकर जानकारी प्राप्त की। इस दौरान बीएलओ ने बताया कि कुछ मतदाताओं के माता, पिता या अन्य परिवार के सदस्य से जब मेपिंग की गई थी तो उनके नाम या स्पेलिंग में अंतर दिखाई दे रहा था। उन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे। उन नोटिस का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान तहसीलदार ने निर्वाचन विभाग के कार्य को प्राथमिकता से करने व कार्य निर्धारित समय से पूर्व ही करने के निर्देश दिए।